न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 34/2018 तारीख रजू:–31.8.2018

रूपसिह पुत्र लालचन्द जाति मीना निवासी जीरोता तहसील सपोटरा जिला करौली

बनाम

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 2.08.2018 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार तहसील सपोटरा मु0न0 07/2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रूपसिह धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 15.4.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से अपील तहसीलदार सपोटरा के निर्णय दिनांक 2.8.2018 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि मातहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट की बिना जॉच पडताल किये ही निर्णय पारित किया गया है पत्रावली मे किसी प्रकार की साक्ष्य आदि नही है। खसरा नम्बर 116 रकवा 8 वीधा पर कोई अतिक्रमण किया गया है ना ही काश्त की है। ना ही कोई सुनवाई की गई है। बिना सुनवाई के ही एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का के बयानो मे किसी प्रकार की जिरह नही कराई गई है। मौके पर जॉच करने पर अतिक्रमण पाया गया तो प्रार्थी हटाने को तैयार है इस निर्णय की जानकारी दिनांक 24.8.2018 को पटवारी हल्का द्वारा पनेल्टि मांगने पर हुयी। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुये कहा की भूमि पर कब्जा नही है पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है मौके पर अतिक्रमण पाया जाता है तो छोडने को तैयार हूॅ। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का जीरौता ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत खसरा नम्बर नम्बर 146 रकवा 10 वीधा चारागाह पर तिल बौकर अतिक्रमण

न्यायालय मे अपना जबाव पेश किया गया उसमे भूमि पर कब्जा भी नही बताया गया जिससे विदित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टी का जबाव पेश होने के बाद विवादित आराजी की जॉच नही करवाकर जल्दबाजी मे निर्णय पारित किया गया है जो नियम विरूद्व है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 2.08.2018 का अपास्त किया जाता है। तहसीलदार को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट को विधिवत सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.4.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली